Puri, Dr. Surya Prakash
Ranga, Shri
Ray, Shri Rabi
Samanta, Shri S.C.
Sharma, Shri Narain Swarup
Sharma, Shri Yajna Datt
Shastri, Shri Prakash Vir
Shastri, Shri Ramavtar
Somani, Shri N. K.
Tyagi, Shri O.P.
Viswambharan, Shri P.

MR. SPEAKER : The result* of the division is : Ayes 91; Noes 26.

The motion was adopted.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, सेक्रेट्री से कह कर यह तो हम को सूचना दिलवा दें कि एक डिवीजन में कितना खर्च होता है। इस की जानकारी हम लोगों को हो जानी चाहिये।

MR. SPEAKER : You put a question.

श्री मधु लिमये : माननीय सदस्य को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिये। यह सदस्यों का अधिकार है। इस का क्या मतलब है ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा भी अधिकार है यह सूचना जानने का।

MR. SPEAKER : Order, order. We now take up the Half-an-Hour discussion. Shri Raghuvir Singh Shastri.

18.33 Hrs

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

FATHER FERRER'S ACTIVITIES

MR. SPEAKER : We now take up the Half-an-Hour discussion.

Shri Raghuvir Singh Shastri.

SHRI MANUBHAI PATEL : (Dabhoi) : Sir, I may also be allowed to put a question.

MR. SPEAKER : Only 5 names are taken out of the lot. A number of Members have given notice. We pick out only 5 names. That is all.

SHRI MANUBHAI PATEL : Just 2 or 3 minutes.

MR. SPEAKER : It will not be proper. You are unlucky; you did not come in the lot. I cannot make you lucky by my discretion.

18.33½ Hrs

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत) : उपाध्यक्ष महोदय, एशिया और अफ्रीका के सारे देशों में जहां विदेशी ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां रही हैं, उन का एक ही अनुभव है, और वह यह कि पश्चिमी योरप का जो साम्राज्यवाद इन देशों में आया, यह विदेशी ईसाई मिशनरी उस साम्राज्यवादी शक्ति के अग्रगामी दल की भूमिका हमेशा यहां निभाते रहे। उन्हीं सारी गतिविधियों की एक श्रृंखला यह फादर फेरर या पादरी फेरर का काण्ड है।

फादर फेरर के सम्बन्ध में गत 9 अगस्त को इस सदन में जब चर्चा हुई तब गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री विद्या चरण शुक्ल ने बतलाया कि महाराष्ट्र सरकार को इन पादरी फेरर

*Sarvashri Gunand Thakur and K. P. Singh Dev also recorded their votes for 'NOES'

[श्री रघुविर सिंह शास्त्री]

की गतिविधियों के सम्बन्ध में दो आपत्तियां थीं। एक आपत्ति यह थी कि उन कि गतिविधियों के कारण वहां कानन और व्यवस्था तथा शांति की बड़ी भारी समस्या पैदा हो गई थी, दूसरे यह कि निर्धन व्यक्तियों को प्रलोभन दे कर वह ईसाई बना रहे थे। इसी के साथ साथ जब महाराष्ट्र सरकार की मांग पर केन्द्रीय सरकार ने यह स्वीकार किया कि फादर फेरर को चला जाना चाहिये, तब इस सरकार ने एक बड़ी विचित्र बात कहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, महाराष्ट्र सरकार उन की गतिविधियों को आपत्तिजनक समझती है, इस लिये यह एक या दो महीने के लिये विदेश चले जाये, परन्तु उस के बाद यदि और कोई राज्य यह चाहेगा कि वह हमारे यहां रहें, तो केन्द्रीय सरकार को इस मामले में कोई आपत्ति नहीं होगी और वह उस के लिये अनुमति दे देगी।

इसी प्रसंग में फादर फेरर और जो उन के समर्थक लोग हैं उन का भी एक पक्ष है। वह यह कहते हैं कि फादर फेरर कभी भी ईसाई प्रचारक के रूप में काम नहीं करते थे। उन का यह भी कहना है कि उन का मुख्य काम गरीब किसानों की सेवा करना, उन के लिये कुंए बनवाना, उन के लिये बिजली के कनेक्शन, उन के लिये उर्वरक, अच्छे बीज और खेती की उन्नति का प्रबन्ध करना आदि है। यही फादर फेरर की गतिविधियां हैं, इस लिये उन के भारत में रहने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। वह तो मानव सेवा के पवित्र काम में लगे हुए हैं।

परन्तु मैं आप से कहना चाहता हूं कि सब से पहले हमें यह देखना होगा कि फादर फेरर के जीवन का मुख्य उद्देश्य और उन का मुख्य कार्य क्या है। यह स्पेनिश मिशनरी सन् 1952 में भारत में आया और सन् 1958 से मनमाड, महाराष्ट्र में रह रहा है। आप केवल एक ही प्रमाण इस के लिये देख लें कि यह कितनी ईसाई संस्थाओं का प्रतिनिधि है। उसी से पता चल जायेगा कि उस के जीवन का मुख्य ध्येय ईसाई मिशन का प्रचार करना है। यह फादर फेरर सोसायटी आफ जीज़स के मेम्बर हैं, यह फादर फेरर रोमन कैथोलिक हायरार्की के मेम्बर हैं। इन फादर फेरर के सम्बन्ध में कैथोलिक डाइरेक्ट्री, 1964 के पेज 267 पर लिखा हुआ है। उन का नाम वहां इस रूप में लिखा हुआ है:

".....as the preiest in charge of the parish of Manmad in the diocese of Poona and in the Archdiocese of Bombay."

इस के साथ ही उन्होंने 1965 में अपने लिये फंड्स की अपील की थी। कैनाडा का जो अखबार "वैंकुअर सन" है उस में एडवर्टाइजमेंट निकला था। उस एडवर्टाइजमेंट में यह कहा गया था कि फादर फेरर भारत में वहां के लोगों को ईसाई बना रहे हैं और वहां ईसाई मत का प्रचार कर रहे हैं। इस के लिये उन्हें रुपया चाहिये। वहां के लोग गरीब हैं, उन्हें खाना और कपड़ा देने के लिये रुपया चाहिये। फादर फेरर 10 हजार व्यक्तियों को ईसाई बना चुके हैं और 250 नौजवान उम्मीदवार हैं जिन के लिये 'होपफुल' लिखा हुआ है। वह उन के बोर्डिंग और लाजिंग के इन्चार्ज हैं। इस के लिये उन्हें रुपया चाहिये। इस तरह का ऐडवर्टाइजमेंट कैनाडा के "वैंकुअर सन" में निकला था 1965 में। इस के लिये फादर फेरर ने यह कहा कि यह उन के किसी मित्र ने निकलवा दिया है, उन्होंने नहीं

निकलवाया । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भले ही फादर फेरर ने उसे न निकलवाया हो, किसी और ने निकलवाया हो, लेकिन फादर फेरर ने उस का प्रतिवाद नहीं किया कि उन को फंड्स नहीं चाहियें । उन्होंने इस बात का खण्डन नहीं किया, यह नहीं कहा कि वह इस के विरोध में हैं और उस का प्रतिवाद करते हैं । हमारे मित्र श्री लोबो प्रभू यहां बैठे हुए है । वह भारतीय ईसाई हैं, हमारे रक्त बन्धु हैं, वह और उन के साथी ईसाईयत का प्रचार करें, हमें इस में कोई आपत्ति नहीं हैं । लेकिन जब भी यहां ईसाई मिशनरीज का जिक्र होता है, उन की आपत्तिजनक गतिविधियों का उल्लेख होता है, उन्हें वह बड़ा कटु लगता है और वह बड़े बेचैन हो जाते हैं । मैं उन से पूछना चाहता हूं कि अगर फादर फेरर ईसाई प्रचारक नहीं हैं तो उन को क्यों परेशानी होती है ? क्यों कैथोलिक चर्च का लाखों रुपया उन के लिये एजिटेशन करने में खर्च किया जा रहा है कि उन को यहां ही रक्खा जाये ? अगर कैथोलिक चर्च को उन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ईसाईयत के प्रचार में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों लाखों रुपये खर्च किये जा रहे हैं और क्यों इतना साहित्य बांटा जा रहा है ? अगर फादर फेरर ठीक रूप से इस देश की सेवा में लगे हुए हैं, तो जिन धार्मिक संस्थाओं में वह काम कर रहे हैं, फर्ज कीजिये कि वे उन को वापस बुलाना चाहें तब क्या वह भारत में रहेंगे ? मैं कहना चाहता हूं कि सारा मनमाड और सारा महाराष्ट्र भी उन को रोकना चाहें, और इस के लिये अपील कर, तो भी अगर फादर फेरर के धार्मिक उच्चाधिकारी उन को वापस बुलाना चाहें तो वह यहां नहीं रहेंगे । इन सब बातों से मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि फादर फेरर इस प्रकार ईसाई प्रचारक ही हैं और उन के जीवन का यही मुख्य काम है । कहा जाता है कि किसानों के हित में इन्होंने काफी काम किया है, किसानों के हित में उन्होंने वहां महाराष्ट्र में एक शेतकारी सेवा मंडल बना रखा है । इस मंडल ने वहां पर एक ट्रस्ट भी बना रखा है । इस ट्रस्ट के पास लाखों रूपया, बताया जाता है कि बाहर से आता है । पादरी फेरर ने अब तक बताया जाता है कि अपने काम के लिए चार करोड़ रुपया खर्च किया है । मैं लिस्ट दे सकता हूं कि जितना रुपया पादरी फेरर के पास आता है वह सारे का सारा ईसाई संस्थाओं से आता है और विदेशी ईसाई संस्थाओं से भी आता है । जो संस्थायें उनको रुपया दे रही हैं उन में एक स्पेनिश संस्था है, एक जर्मनी की संस्था है । इस देश का कैथोलिक चर्च और दूसरी जो ईसाई संस्थायें हैं वे भी उनको धन दे रही हैं । हमारे देश में आज जनमत तैयार हुआ है कि इस देश के धनिकों को भी पैसा दे कर जो राजनीति पर वे प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं उससे रोका जाए । मैं कहना चाहता हूं कि जब इस देश के बिड़ला, टाटा तथा दूसरे धनिक लोग भी अगर देश में पैसे का इस तरह से नाजायज तौर पर इस्तेमाल करते हैं और लोग इस पर एक प्रकार की आपत्ति पैदा करते हैं तो यह जो विदेशी रुपया बाहर से आ रहा है इस विदेशी रुपये का गांवों में, गरीब लोगों को काबू करने के लिये इस्तेमाल करते हैं पादरी फेरर जैसे लोग, तो यह आपत्तिजनक क्यों नहीं समझा जाना चाहिये ।

यह जो सेवा मंडल है इसकी एक गर्वनिंग बाडी भी है । इससे आपकी आंखें खुल जानी चाहिये कि इस में एक भी किसान नहीं है, एक भी किसान इसका वोटर नहीं है ।

जब से यह संस्था बनी है इसकी जनरल बाडी की कोई मीटिंग नहीं हुई है। इसके जितने पदाधिकारी हैं सभी सरकारी कर्मचारी हैं। रिजर्व बैंक के एक बहुत बड़े अधिकारी इसके चेयरमैन हैं। बम्बई गवर्नमैंट के एक बहुत बड़े अधिकारी इसके वाइस चेयरमैन हैं। कस्टम्ज डिमार्टमेंट के एक अधिकारी इसके कोषाध्यक्ष हैं। पादरी फेरर को जब उनकी राष्ट्र विरोधी कार्रवाइयों को देखते हुए बाहर निकालने की कोशिश हो रही थी तो इन अधिकारियों ने इसके विरुद्ध बड़ा भारी आन्दोलन भी किया। अधिकारी गण इस संस्था के सदस्य अथवा पदाधिकारी बनें इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब पादरी फेरर को निकाला जा रहा था तो उन्होंने जो आन्दोलन में भाग लिया क्या यह आपत्तिजनक नहीं है?

पादरी फेरर यहां सोलह साल से रह रहे हैं और दस साल से मनमाड जिले में रह रहे थे। अब महाराष्ट्र सरकार ने मांग की है कि इनको निकाला जाए। केन्द्रीय सरकार ने कहा है कि अगर आप मांग करते हैं तो हम इसको निकाल देंगे लेकिन और कोई राज्य इनको अपने यहां रखना चाहे तो यह रह सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि विदेशी व्यक्तियों को रखने का या न रखने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है या राज्य सरकारों को है। अगर राज्य सरकारों को है तो मान लो कल को लोबो प्रभू जी किसी प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन जाएं तो ये तो पादरी फेरर को कहेंगे ही कि रखना चाहिये। जिस आदमी के सम्बन्ध में यह निश्चित हो गया है कि उसकी उपस्थिति देश की दृष्टि से आपत्तिजनक है तो फिर वह महाराष्ट्र में भी आपत्तिजनक है, गुजरात में भी आपत्तिजनक है और दूसरे प्रदेशों में भी आपत्तिजनक है। इसलिए यह अधिकार केन्द्रीय सरकार का है कि वह देखे कि किसी विदेशी की गतीविधियां देश में किस प्रकार की चल रही हैं, उसकी उपस्थिति देश के लिए अच्छ है या नहीं है और यह फैसला केवल केन्द्रीय सरकार के हाथ में रहना चाहिये कि कोई विदेशी भारत में रहे या न रहे। अगर राज्य सरकारों को इस तरह का अधिकार दे दिया गया और इस तरह की परम्परा डाल दी गई तो आगे चल कर इसके भीषण परिणाम होंगे।

एक और बात है। लोगों के दिल में यह बात जरूर है कि पादरी फेरर की आपत्तिजनक कार्रवाइयां क्या पिछले दस साल से चालू नहीं थीं? और चूंकि इस दफा उन्होंने राजनीतिक रूप से महाराष्ट्र सरकार जो उन से इच्छा करती थी वैसा काम न करके दूसरे लोगों को सहयोग दिया है इस वास्ते वह उनको वहां से निष्कासित करना चाहती है। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री मेरी बातों का जवाब देते समय जरा इस बात का भी उत्तर दें कि उनकी गतिविधियां 1967 और 1968 में ही आपत्तिजनक हुई हैं या पहले से भी आपत्तिजनक चली आ रही थीं और अगर पहले से थीं तो केन्द्रीय सरकार का यह काम था कि वह अपने विभाग द्वारा विदेशी व्यक्तियों की गतिविधियों का ध्यान रखती और उनके खिलाफ पहले से स्वयं कार्रवाई करती।

मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जब उत्तर दें तो इन सब बातों का स्पष्टीकरण

करें ताकि सारे देश के सामने और सदन के सामने पूरी स्थिति आ जाए और रुपया कहां से आता है, कौन सी संस्थायें हैं जो देती हैं और कितना देती हैं इन सब बातों की जानकारी सदन को और देश की जनता को हो जाए और हमारे मित्र लोबो प्रभु जी के मन में जो व्यथा है जो बेचैनी है वह भी ज़रा दूर हो जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शुक्ल।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (भोपाल) : मैंने भी सवाल पूछना है। पीछे अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि पहले जो प्रोसीजर चलता था वही अब भी चलता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Minister....(*Interruptions*). I am following the procedure. First he will reply now. If you want I shall read out the rule. I am following this procedure every time. I am going to stick to this procedure, unless the Rules Committee changes the rule.... (*Interruptions*). I am not going to alter the procedure. Please do not take the time of the House.

SHRI N. K. SOMANI (Nagaur) : We should put the questions first so that the Minister will answer them.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall read out the rule for the benefit of the Members. I am following this rule.

"There shall be no formal motion before the House nor voting. The member who has given notice may make a short statement and the Minister concerned shall reply shortly. Any member who has previously intimated to the Speaker may be permitted to ask a question for the purpose of further elucidating any matter of fact :"

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : When? It should be asked before the Minister begins to reply. (*Interruption*)

SEVERAL HON. Members *Rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : You can take up the matter with the Rules Committee. I am bound by this procedure. I am not going to alter it today. Unless the Rules Committee changes it, I am not going to submit to your requests.

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh) : We do not want to challenge your ruling. But this is how the rules have been interpreted by the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is the practice followed in this House. I will not permit questions now.

SHRI SHRI CHAND GOYAL : The practice is that the questions are asked first.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have followed it on several occasions. I have done it on several occasions. About putting questions also, there is a procedure. Those who want to put questions, their names are balloted No other Member is permitted.

SHRI SHRI CHAND GOYAL: We agree there. But here, it is only the question of time, the time when we should put the questions.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am not going to change the procedure.

SHRI SHRI CHAND GOYAL : We must put the questions before the hon. Minister rises to reply to the debate.

SHRI N. DANDEKER (Jamnagar): Sir, may I make a submission? The day before yesterday, I participated in a similar discussion which was initiated by Mr. Jyotirmoy Basu, and I must—

MR. DEPUTY-SPEAKER : It was a discussion under rule 193. That is different.

SHRI N. K. SOMANI : In half-an-hour discussions, we have done this before; putting the questions before the Minister rises to reply.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : We do not question your ruling, but my submission is that a number of times it has been done; the practice was different. You follow a different practice.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Would you advise me to by-pass the procedure? Would it be in the interests of the House to by-pass the procedure? I cannot do it. Mr. Vidya Charan Shukla.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, the matter regarding Father Ferrer has been agitated in this House many times. (*Interruption*)

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : इन्हीं की भाषा में उत्तर दीजिये न।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस प्रश्न पर कई बार सरकार की स्थिति को स्पष्ट किया जा चुका है। अब जो शास्त्री जी ने प्रश्न उठाया है उसके उत्तर में मुझे कोई नई बात नहीं कहनी है। यह बिल्कुल साफ बात है कि उनकी गतिविधियां महाराष्ट्र के उस इलाके में जहां वह काम करते थे, राज्य सरकार द्वारा आपत्तिजनक पाई गई हैं और राज्य सरकार की सिफारिश हमारे पास आई है कि उन्हें वहां से हटाया जाए। इसके बारे में विचार-विमर्श हुआ और माननीय सदन को यह बात ज्ञात है कि जब यह मामला सामने आया तो कई तरह की रायें भी हमारे सामने आई। यहां भी जब यह प्रश्न उठा तो बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा कि उनका भारत में रहना भारत के हित में है, उन्होंने स्थानीय लोगों के लिए बहुत काम किया है और जो उनके काम हैं वे जनहित के काम हैं और उन्हें हटाने की जरूरत नहीं है। बहुत से दूसरे माननीय सदस्यों ने यह कहा कि उनकी जो कार्रवाइयां हैं वे राष्ट्रद्रोही कार्रवाइयां हैं और उनको यहां रहने देने से नुक्सान होगा। सब चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने यह तय किया कि जिस स्थान पर उनके रहने से इस तरह की कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई है, उचित यह होगा कि उनको उस स्थान से अलग कर दिया जाए। हम ने कहा कि महाराष्ट्र छोड़ कर जो राज्य सरकार आपको मंजूर करे, वहां आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी—

श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्यों ?

श्री विद्याचरणशुक्ल : मैं पृष्ठभूमि बता चुका हुं। उनके बारे में विभिन्न प्रकार की राय थी। कुछ लोग कहते थे कि उनकी कार्रवाइयां आपत्तिजनक हैं और कुछ कहते थे कि वे जनहित में हैं। यह सारा मामला देश के सामने और राज्य सरकार के सामने साफ था। हम लोगों ने अपनी तरफ़ से इस बारे में कोई राय बना कर उस को लागू करने की बात अभी तक नहीं की है, केवल इस लिए कि हम यह नहीं चाहते कि कोई इस तरह की बात उठाई जाये, जिस के बारे में कुछ कारणों से हमारे देश में इतनी बड़ी कान्ट्रोवर्सी उत्पन्न हुई है, जिस की आवश्यकता नहीं थी। इस कारण हम ने इस बारे में निर्णय करने का प्रश्न राज्य सरकारों के डिसक्रीशन पर छोड़ दिया। यदि कोई जिम्मेदार राज्य सरकार यह जान कर भी कि उन के एक जगह रहने से क्या नतीजा निकला और उन की गतिविधियां कैसी रहीं— उस को सब रिपोर्ट राज्य सरकारों के पास है, लेकिन यदि जरूरत हो, तो हम वह रिपोर्ट उन

के पास भेज सकते हैं—उन को अपने यहां बुलाना चाहती है, तो हम उस पर कोई आपत्ति नहीं करना चाहते। यही हमारी स्थिति है, जिस को मैं फिर से दोहरा रहा हूं।

आज हमारे पास जो सूचना है, उस के अनुसार उन्होंने आवेदनपत्र के द्वारा फिर से वीसा की मांग की है और कहा है कि वह गुजरात या आन्ध्र प्रदेश में काम करना चाहेंगे। उन की जो मांग है, उस को हम ने सम्बन्धित सरकारों के पास भेजा। गुजरात सरकार ने हमें कहा है कि वह उस को मन्जूर करने के लिए तैयार नहीं है। आन्ध्र प्रदेश सरकार की तरफ़ से अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है कि वह उन को लेने के लिए तैयार है या नहीं। यदि आन्ध्र प्रदेश सरकार इस के लिए तैयार हो जाती है, तो फ़ादर फेरर आन्ध्र प्रदेश में काम करें, इस में हमें जरा भी आपत्ति नहीं है। यदि वह तैयार नहीं होती है, तब फादर फेरर को किसी दूसरी राज्य सरकार की शरण में जाना पड़ेगा, इस बारे में पूछ-ताछ करनी पड़ेगी; जब कोई राज्य सरकार उन को लेने के लिए तैयार होगी, तो हम उन के आवेदनपत्र पर विचार कर सकते हैं। इस वक्त यही हमारी स्थिति है।

जहां तक नागालैंड और दूसरी सीमावर्ती जगहों का सवाल है, उन के सम्बन्ध में नीति बिल्कुल अलग है। वह नीति बिल्कुल साफ़ है कि हम वहां पर किसी विदेशी को नहीं जाने देते हैं, चाहे वह मिशनरी हो, कोई व्यापारी हो या कोई और हो। सीमावर्ती इलाकों में किसी विदेशी को रहने देने की हमारी नीति नहीं है। नागालैंड आदि का तो सवाल नहीं उठता है। ऐसी दूसरी जगहों के लिए, जहां सुरक्षा का कोई प्रश्न नहीं हो सकता है, यदि हमारे पास कोई आवेदनपत्र आयेगा, तो हम सम्बद्ध राज्य सरकारों से परामर्श कर के उस के बारे में विचार-विमर्श करेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रश्न तो केवल यही है कि कोई विदेशी हमारे देश में आ कर किस तरह से, किस ढंग से कार्य कर सकता है और किन नियमों के अन्तर्गत, किस परिधि में रह कर उसे रहना चाहिए और काम करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी देश का हो, उन परिधियों और नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस के साथ कैसा व्यवहार हो, यह सोचने बिचारने की बात है। इन सब बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर के हम ने तय किया है कि यदि कोई राज्य सरकार उन्हें लेना चाहती है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है कि वह आयें। इस वक्त भी बहुत से, हज़ारों, विदेशी मिशनरी भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। कई बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। उन के काम करने पर कोई आपत्ति नहीं है। हम उन्हें यह नहीं कहते कि वे चले जायें और यहां पर काम न करें। बल्कि वे यहां पर निर्विघ्न अपना काम करते हैं और जब तक वे ठीक तरह से काम करते रहेंगे, विघ्न डालने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जब कभी कोई ऐसी बात की जायेगी, जो नियमों, कानून, जनहित और देशहित के ख़िलाफ़ हो, तो हम उन के विरुद्ध अवश्य कार्यवाही करेंगे। इसी नीति के अन्तर्गत हम फादर फ़ेरर का मामला तय करना चाहते हैं। यही हमारी नीति है।

SHRI N. K. SOMANI: Before putting my question, I would like to correct one point erroneously made by Mr. Shastri. He said, not a single

[Shri N.K. Somani]

pie has been contributed by the oca farmers. I wish he was sure o the facts. I have spent a considerable time at Manmad talking to thousands of people of that area. I wish senior members are sure of the facts before making such sweeping allegations. A sum of Rs. 5 lakhs, which both Mr. Shastri and myself cannot collect in our area for developmental activities, was donated willingly and voluntarily by the peasants of Manmad area towards his activities. The accounts of the Maharashtra Shetkari Mandal are not maintained by somebody who is not a professional person. Day-to-day accounting is kept by a professional accountant, who has worked for 20 years in the Reserve Bank.

It is very painful that some vested interests are conducting a vitriolic campaign against Father Ferrer, whom I consider to be a saintly and honourable person. Right under the nose of the Minister in the Union Territory, obnoxious pamphlets denoting the fanaticism of a certain section of the Hindu Society are being freely distributed, which are directly contrary to the accepted secular pattern of this country and against the national integration conference recently held in Srinagar.

I will just quote only one headline because it is relevant.

SHRI SONAVANE (Pandharpur) : Sir, I rise to a point of order. You are strictly following the rules. He can only put a question. Let him put his question.

SHRI N. K. SOMANI : I have to correct the background because erroneous information has been given to this House. It says :

"भारत को ईसाई साम्राज्यवाद से बचाइये हिन्दुओ ! उठो, जागो, नहीं तो शत्रु शक्तियां आप की बहुसंख्या को समाप्त कर देंगी ।"

This is being freely distributed in the Union Territory of Delhi, in New Delhi the capital of India, for which no action, in spite of several meetings in Srinagar and elsewhere, is being taken. Based on the report of the Government of Maharashtra and the mere fact that he has been made a pawn of controversy he has been asked to leave the shores of India. If certain Cabinet Ministers and other personalities become controversial in this country would the Prime Minister or anyone ask them to go out because they are controversial? We have to recognise the fact that he has done tremendous developmental activities. Since the Prime Minister had promised to us herself that an independent inquiry on behalf of the Central Government would be conducted into the affairs and allegations against Father Ferrer, would the Home Minister be prepared to lay the report on the Table of the House so that the House will be in the know of the facts? Secondly, Father Ferrer has voluntarily made an application to be made an Indian citizen if nothing tangible is found against him. Will the Government of India consider to grant him Indian citizenship so that he becomes at par with all of us and subject to the laws, rules and regulations of this country?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I am surprised that Shri Somani should have compared a foreigner with an Indian citizen. It is absolutely wrong. No foreigner in his rights or duties can be on a par with Indian citizens. This is not the way to argue. Secondly, as far as the independent inquiry is concerned, we have made such inquiries from our own sources. Such reports are never laid on the Table of the House, nor are they made public. We are also quite clear that it will not be in the interests of either Father Ferrer or in the interest of the local people if he stayed and worked there. In view of that he was asked to go. I am not at present aware of his application for Indian citizenship. If it comes to us we will consider it on merits.

श्री श्रीचन्द गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछने से पहले मैं यह बात स्पष्ट

करना चाहता हूं कि मैं ईसाई धर्म के अनुयायिओं का विरोधी नहीं हूं। मैं ने स्वयं एक मिशन कालेज में शिक्षा पाई है। लेकिन इस के साथ साथ मैं यह चाहूंगा कि ईसाई पादरी कोई इस तरह की कार्यवाही देश में न करें, जो देश के लिए विघटनकारी और विध्वंसकारी हो, देशहित-विरोधी हो।

महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है और उस सरकार की रिपोर्ट है कि फादर फेरर की गतिविधियां देश-विरोधी और देश के लिए विघातक और विध्वंसकारी हैं। जब एक व्यक्ति की गतिविधियां एक प्रदेश में आपत्तिजनक पाई जाती हैं, तो उस को किसी दूसरे प्रदेश में जा कर काम करने की इजाजत देना उचित नहीं कहा जा सकता है। फ़ारसी में कहावत है, "आज़मूदा रा आज़मूदन जहल अस्त," यानी जिस आदमी की हम ने आज़माइश कर ली, दोबारा उस का फिर इम्तहान लेना ग़लती और मूर्खता है। तो एक प्रदेश के अन्दर जिस की गतिविधि इस प्रकार की पाई गई, मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार किसी दबाव के तहत क्यों इस बात का प्रयत्न कर रही है, कैभी गुजरात सरकार के ऊपर दबाव डालती है, कभी आन्ध्र प्रदेश सरकार से पूछती है कि वह फादर फेरर को स्वीकार करेंगे या नहीं? क्या वह यह सिद्ध करना चाहती है कि महाराष्ट्र सरकार की जो कार्यवाही है वह गलत है? आप को तो पता होगा कि एक पुस्तक अगर अवैध घोषित हो जाय तो क्या उस का मतलब यह नहीं होता कि सारे देश के लिए वह पुस्तक अवैध मानी जाती है? इसलिए एक व्यक्ति जिस को देश से बाहर भेजा गया उस के लिए मैं समझता हूं कि दबाव के तहत जो इस प्रकार का प्रयत्न हो रहा है वह गलत है।

19 hrs.

दूसरी चीज यह है कि विदेशों के अन्दर फिल्में दिखायी जा रही हैं, अभी एक शख्स वेंकटेश्वर राय यू० एस० ए० गए हुए थे वहां उन्होंने यह डाक्यूमेंट्री फिल्म देखी कि फादर फेरर ने बहुत योग्य काम किया है और उस के साथ साथ उस में यह दिखाया गया कि भारतवर्ष के लोग अज्ञानी हैं, वह जाहिल हैं, अनसिविलाइज्ड हैं और गरीब लोग हैं, उन के लिए धन इकट्ठा किया जाय। उस डाक्यूमेंट्री के द्वारा यह दिखा कर धन इकट्ठा करने का प्रयत्न वहां हो रहा है। मैं यह कहता हूं कि यह भारत के स्वाभिमान के लिए किसी तरह सहय नहीं हो सकता कि इस तरह से भारतवासियों को गरीब, निर्धन और असभ्य दिखा कर धन इकट्ठा किया जाय, हम इस की निन्दा करते हैं। हमें इस प्रकार के धन की बिलकुल आवश्यकता नहीं है। तो क्या मंत्री महोदय इस बात का भी प्रबन्ध करेंगे कि इस तरह से जो मिलने वाला धन है वह भारत को बिलकुल नहीं चाहिए और इस तरह की जो फिल्म्स हैं जो भारत के लिए बदनामी का कारण बनती हैं वह न दिखायी जायें?

श्री विद्याचरण शुक्ल: उपाध्यक्ष महोदय, दबाव का इस मामले में कोई प्रश्न नहीं है। मैंने पहले ही साफ कर दिया था कि हम लोगों ने स्वयं की अपनी जांच पड़ताल की है और महाराष्ट्र सरकार की अपनी सिफारिशें हैं, इन सब बातों को सोच विचार कर के हम ने निर्णय लिया है। जहां तक दूसरे प्रदेशों में जाने का सवाल है, मैंने अभी बताया था कि किन कारणों से हम ने इस बात का निश्चय किया कि दूसरे प्रदेशों में जाना चाहें तो जा सकते हैं। उस के बारे में मैं दोबारा अपने उत्तर को दोहराना नहीं चाहता।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Lobo Prabhu.

SHRI LOBO PRABHU: Whatever we have to find.....

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सारे क्वेश्चंस उधर से ही हो रहे हैं, इधर से भी तो किसी का होना चाहिए ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is based on the ballot. You can see the report of the ballot. It is open for all.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह बैलट कैसा है कि एक ही तरफ के सारे लोग उस में आते हैं ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : What can I do?

SHRI LOBO PRABHU : Whatever we have to find against Father Ferrer rests on the ground that he is misusing his position or indulging in conversion by the use of money and other unlawful means. On the last occasion when this point was raised and the Minister made a statement that this allegation had been made by the Maharashtra Government, I wrote and enquired from him whether it had been checked by the Central Government, as he had promised. Now I repeat that question because there has been no reply to my letter, which is more than two weeks old. It is not classified information and, as he himself on that day maintained, unclassified information should be available to the members of the House.

The second point that has been raised is that Christianity is all right, but foreign missionaries are not welcome in this country. He has to face this question how many foreigners are there in this country, how many foreign experts are here in this country. I hope none of my good friends has been treated by a foreign doctor or educated by a foreign teacher. Now, why make a distinction in the case of missionaries? What is wrong with a man coming to this country to help the people, to look after the education, to give them medical relief? It is with a sense of service that they come to you. That is the question I want to ask.

We are a very small community, just 2 per cent as against 84 per cent Hindus. Is it consistent when you say that you are afraid of 2 per cent of this population which is dedicated to your service? I am going to say, it is for us to have foreign Christian missionaries who come for service. They are not coming for ruling us. I entirely agree that if they come for ruling us, not for giving service....

SHRI OM PRAKASH TYAGI : What are they doing in Nagaland and Mizoland?

SHRI LOBO PRABHU : Whatever they are doing in Nagaland and Mizoland, if that is against the interests of this country, I shall be the first to demand that action should be taken against them. But, do not indulge in unestablished conclusions. Consistently with your great religion, do not be intolerant. We are a great House, a sovereign House. The best people are here and let it not be said of us that we did not enjoy the feeling of tolerance which is the greatness of Hinduism.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: There is not much for me to reply, but I would like to state in a nutshell our policy regarding the foreign missionaries in the country.

The policy decision regarding foreign missionaries was taken by the Cabinet in 1954 under the presidentship of the late Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, and when a very distinguished Indian Christian, Rajkumari Amrit Kaur, was also member of the Cabinet. She was also present in that Cabinet meeting. According to that Cabinet decision, a policy has been laid down and that policy we are strictly following. The

main feature of that policy is that there should be progressive in Indianisation of the missions working here.

SHRI LOBO PRABHU : Agreed.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: More and more Indians should work in these missions. There would be no hindrance to any legal and voluntary conversion but whenever the work can be done by an Indian, we need not import a foreigner for it. Anything which could be done by an Indian, for that we do not normally allow a foreigner to come, unless there are other reasons and circumstances which we have to take into account for some time. But it is our main policy which we follow and intend to follow in future also.

SHRI LOBO PRABHU : Have the charges been confirmed? That has not been replied to.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I have already replied to that earlier. We made our own inquiries about these activities of Father Ferrer and we also came to the conclusion that it would not be proper for him to continue in that area where he was working.

SHRI LOBO PRABHU : Was it confirmed?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Jagannath Rao Joshi.

श्री जगन्नाथ राव जोशी : मुझे बड़ी खुशी है कि स्वयं मन्त्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि विदेशी मिशनरीज़ को सीमावर्त्ती प्रदेशों में हम जाने नहीं देंगे ।

That means, he himself accepts that foreign missionaries are a risk to the border areas.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I said that we do not allow any foreigner, whether missionary or non-missionary, to go into those restricted areas.

श्री जगन्नाथ राव जोशी : अंग्रेज के जमाने से यह शब्द हम कितनी बार सुनते आये हैं कि:

"Foreign missionaries are the forerunners of British Imperialism."

मैं समझता हूं कि माननीय शुक्ल महोदय ने भी यह बात सुनी होगी । यह केवल एक फारेन मिशनरी का सवाल नहीं है, अच्छे और बुरे का सवाल नहीं है । अंग्रेज बहुत अच्छे थे, इतना होने के बाद भी गांधी जी के नेतृत्व में जो यहां हम लोगों ने आन्दोलन किए वह अंग्रेज खराब थे, इस लिए नहीं, अंग्रेजी राज्य खराब था इसलिए नहीं, बल्कि लोकमान्य तिलक जैसे लोग यह कहते आये कि:

"We want a self-government in preference to a good government."

तो जो मंत्री महोदय ने अभी बात कही, जो हम कर सकते हैं, उस के लिए, विदेशियों को यहां आने देना नहीं चाहते, यहां अपने पिछडे हुए लोगों के लिए, अपने बनवासी बन्धुओं के लिए ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, यहां सब कार्यवाही उस के लिए सरकार की तरफ से चलती है । ऐसी हालत में जब कि फादर माइकेल स्काट का उदाहरण हमारे सामने है और फादर करीनो गोआ में थे, हम जानते हैं

He had accepted Indian citizenship also but later on it was found out that he was a *persona non grata* and that fellow was to be shunted back to Spain.

यह हुआ है । और आज भी फादर फेरर को महाराष्ट्र से निकालने के बाद विदर्भ के क्षेत्र में फादर डिकोना वही काम कर रहे हैं, यह सूचना मैं देना चाहता हूं, इस को भी मंत्री जी देखें । इंग्लैंड भी जब नहीं चाहता कि कोई दूसरा उस के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप

[श्री जगन्नाथ राव जोशी]

करे, इस बात को ले कर इंग्लैंड का राजा हेनरी कहता है : मैं स्वयं ही अपने धर्म को देख लूंगा

"I will be the Defender of the Faith."

तो हमारे देश के अन्दर इतनी बड़ी प्राचीन परंपरा होने के बाद हमारे ही बन्धु सारा काम कर सकते हैं। एक बार दूध का जला छाछ को भी फूंक लेता है। इसलिए जो मन्त्री महोदय ने कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बताया, उस के ऊपर हम ने जांच नहीं की

I take serious objection to it.

वहां की कांग्रेस गवर्नमेंट जब यह बात कहती है कि हम फादर फेरर को रहने नहीं देंगे, उस के बाद केन्द्र में कांग्रेसी शासन रहते हुए गुजरात सरकार से पूछना, आन्ध्र सरकार से पूछना, यह देश के लिए अच्छा नहीं है और अगर सरकार यह करेगी तो मैं बताना चाहता हूं राष्ट्रवादी जनता इसका विरोध करेगी, भले ही सोमानी जी कहें

that it is Hindu fanaticism or whatever it is. I think, he does not understand either Hinduism or what is meant by fanaticism.

यदि देश के अन्दर ऐसी विदेशी मिशनरी आते रहे—माइकल स्काट और फादर फेरर जैसे—तो मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी जनता आन्दोलन कर के सरकार को इस बात के मानने के लिये बाध्य करेगी। मैं मंत्री महोदय से स्पेसिफिक उत्तर चाहता हूं कि जब अपना ही शासन नहीं कहता है कि हम उन को वहां चाहते हैं, तो फिर उन को देश के किसी भी भाग में बसाना ठीक नहीं है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय जोशी जी ने मेरे उत्तर को ध्यान से नहीं सुना। शायद वह गुस्से में हैं या उत्तेजित हैं—इस लिये उन्होंने ठीक से नहीं सुना। मैंने यह बात साफ़ कही है कि महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट आने के बाद हम लोगों ने स्वयं उस की जांच की और जांच करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे कि उन को वहां पर नहीं रहना चाहिये। यह बात मैंने साफ़ कही है की हम ने एन्क्वायरी की है। बाकी जो बात आप कह रहे हैं—वह आपकी राय हो सकती है, उस पर ज़रूर सोच-विचार किया जायेगा।

MR. CHAIRMAN : Now, the House stands adjourned to meet again tomorrow at 11 A.M.

19.11 HRS

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 29, 1968/Bhadra 7, 1890 (Saka).

MGIPCRE—S3—6 LSD/68—17-3-69—